IJFMR International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

वर्तमान परिप्रेक्ष में भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध

Dr. Dhiraj Bakolia

Professor
Dept. of Political Science, Govt. Lohia College,Churu (Raj.)

सार

वर्तमान परिप्रेक्ष में भारत और बांग्लादेश के संबंध एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहाँ राजनीतिक बदलावों और कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक और ऊर्जा सहयोग लगातार जारी है।
मुख्य आयाम और सहयोग
व्यापारिक संबंध: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13.51 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
ऊर्जा सुरक्षा: भारत मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को लगातार बिजली और डीजल की आपूर्ति कर रहा है। [1]
परिवहन और संपर्क: दोनों देशों के बीच रुक-रुक कर चलने वाली बस और संपर्क सेवाओं (जैसे अगरतला-ढाका बस सेवा) को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

परिचय

भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं। बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं। १९७१ में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरु हुआ और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से दिसंबर १९७१ में हस्तक्षेप किया। फलस्वरूप बांग्लादेश राज्य के रूप में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में भारत ने मदद की।[1,2,3]

विचार-विमर्श

बांग्लादेश भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। पिछले दो दशक में, भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, संपर्क, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में अधिक आत्मसात हो रहे हैं।
वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक सहयोगः बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2019-20, बांग्लादेश को भारत का निर्यात 8.2 अरब डॉलर और आयात 1.26 अरब डॉलर था।
संपर्कः हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 'मैत्री सेतु' पुल का उद्घाटन किया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना अपने बहुप्रतीक्षित दौरे पर भारत पहुंच चुकी हैं. पांच से आठ सितंबर तक चलने वाले इस दौरे में भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. शेख़ हसीना का भारत दौरा इसलिए और भी ख़ास हो जाता है, क्योंकि उन्होंने, दोनों देशों के आपसी संबंधों की स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार किया है. कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद, शेख़ हसीना पहली बार भारत का दौरा कर रही हैं.
शेख़ हसीना के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के बीच उन द्विपक्षीय मुद्दों पर मंत्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिन पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में चर्चा करने वाले हैं. दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार, सड़क के मूलभूत ढांचे, पानी के बंटवारे और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा होने की संभावना है.[4,5,6]

परिणाम

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का सफ़र ये दिखाता है कि दोनों देशों ने मोदी सरकार और शेख़ हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग की हुकूमत के दौरान किस तरह आपसी लाभ उठाया है. इसके चलते भारत के साथ रिश्ते, बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत में भी काफ़ी अहम हो गए हैं. शेख़ हसीना के सियासी विरोधी अक्सर इसकी आलोचना करते रहे हैं. मिसाल के तौर पर बेग़म ख़ालिदा ज़िया की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) अक्सर अवामी लीग की ये कहकर आलोचना करती रही है कि भारत के साथ रिश्तों में शेख़ हसीना की सरकार 'बेहद क़मज़ोर' साबित हुई है. इसी वजह से, शेख़ हसीना का मौजूदा भारत दौरा भी अवामी लीग के लिए सियासी लिहाज़ से काफ़ी अहम है. इस माहौल में हम इस लेख में शेख़ हसीना के भारत दौरे के संभावित नतीजों के बारे में विश्लेषण करेंगे.

कनेक्टिविटी मज़बूत करना: सड़कों का विकास और व्यापार

ये उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और शेख़ हसीना, दोनों देशों को जोड़ने वाली 25 किलोमीटर लंबी 'स्वाधीनता सड़क' का उद्घाटन करेंगे. ये सड़क बांग्लादेश के मुजीबनगर को पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले से जोड़ती है. सड़क का नाम रखने का प्रस्ताव बांग्लादेश की तरफ़ से आया था, ताकि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में इस सड़क की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखा जा सके. चूंकि भारत और बांग्लादेश की विरासत साझा है. ऐसे में दोनों दोस्त देश आपस में ऐतिहासिक संपर्कों को दोबारा खोलने पर काफ़ी ज़ोर देते हैं, ताकि पुराने सुनहरे दौर को जी सकें और आपसी दोस्ती को और मज़बूत बना सकें. पांच ऐतिहासिक रेल लाइनों को दोबारा चालू करने के साथ साथ, स्वाधीनता सड़क खुलना भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना और भाईचारे वाले रिश्तों की मिसाल है. ये रिश्ते महज़ सामरिक हित साधने के दायरे से कहीं आगे जाते हैं.[7,8,9]

व्यापार के मामले में इस बात की काफ़ी संभावना है कि शेख़ हसीना के इस दौरे में भारत और बांग्लादेश, व्यापक आर्थिक साझेदारी के समझौते (CEPA) को अंतिम रूप दे दें. बांग्लादेश द्वारा ड्राफ्ट प्रस्तावों को मंज़ूरी देने के बाद, अब इसे भारत की मंज़ूरी मिलनी बाक़ी है. इस बात की काफ़ी संभावना है कि जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाक़ात होगी, तो वो CEPA के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेंगे. आर्थिक साझेदारी के इस समझौते पर दस्तख़त होने से, भारत और बांग्लादेश दोनों को ही फ़ायदा होगा. इस समझौते से बांग्लादेश के विकासशील देश बनने के बाद भी, दोनों देशों को आपसी व्यापार के रिश्तों को बनाए रखकर सारे फ़ायदे उठाने का मौक़ा मिलेगा. इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच CEP समझौते को दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में मील का पत्थर कहा जा रहा है.
पानी के बंटवारे पर आपस में सहमति

शेख़ हसीना के भारत दौरे से पहले, 25 अगस्त को दिल्ली में दोनों देशों के संयुक्त नदी आयोग (JRC) की 38वीं बैठक (12 साल के अंतराल के बाद) हुई. जल आयोग की बैठक में दोनों देशों के बीच मुहुरी, गुमटी, खोवाई, दूधकुमार, मोनू, धारा और फेनी नदियों के पानी के बंटवारे पर चर्चा हुई. ये सभी नदियां दोनों देशों से होकर गुज़रती हैं. परिचर्चा मुख्य रूप से बाढ़ के आंकड़े साझा करने और नदी के प्रदूषण से निपटने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित रही.

इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति पत्र के दस्तावेज़ पर आख़िरी मुहर लगाई. ऐसे में संभावना ये है कि मुलाक़ात के दौरान दोनों नेता कुशियारा के पानी के बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देंगे. ये नदी नागालैंड से शुरू होकर मणिपुर, मिज़ोरम और असम जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से गुज़रती है और सहायक नदियों का पानी बटोरते हुए आगे बढ़कर भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है. ये नदी भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 16 (NW 16) का भी एक हिस्सा है.

भारत के चारों तरफ़ से ज़मीन से घिरे पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) को बंदरगाह शहर कोलकाता से जोड़ने में जलमार्ग बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. नागालैंड और मणिपुर व असम जैसे पड़ोसी राज्यों से गुज़रता हुआ राष्ट्रीय जलमार्ग 16 दो नदियों– कुशियारा और सुरमा में बंट जाता है. काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद ये नदी बांग्लादेश और भारत की सीमा पर मेघना नदी बनाती है. यहां ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि कोलकाता– सुंदरबन– चालना– खुलना– मोंगला, कौखाली– बारीसाल– नारायणगंज– अरिचा– ढुबरी, पांडु– सिलघाट से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ही भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य प्रोटोकॉल मार्ग है. साझा नदियों के बीच पानी के बंटवारे का समझौता, शेख़ हसीना के इस दौरे में हो सकता है, जो आगे चलकर ऐसे ही साझा समझौतों का आधार बन सकता है. दोनों देशों को चाहिए कि वो आपस उन सभी 54 नदियों के पानी के बंटवारे पर एक आम सहमति बनाएं, जो दोनों देशों से होकर गुज़रती हैं.[6,7,8] इससे पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच किसी भी विवाद की आशंका पूरी तरह से दूर हो जाएगी. इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात ये भी है कि तीस्ता समझौते को लेकर मतभेद दूर करने की योजनाएं अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं. इस मामले के अनिश्चित समय तक लटके रहने के पीछे मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के बीच आम सहमति की कमी को एक वजह बताया जा सकता है इसी वजह से भारत और बांग्लादेश, बहुप्रतीक्षित तीस्ता समझौते को अंतिम रूप नहीं दे सके हैं.

सीमा के आर-पारऊर्जा सहयोग को बढ़ाना

शेख़ हसीना के तीन दिन के भारत दौरे में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा मैत्री थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन होने की भी उम्मीद है. पिछले कई दशकों से व्यापार, कनेक्टिविटी और पानी के बंटवारे जैसे अहम द्विपक्षीय मुद्दे ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को परिभाषित करते आए हैं. लेकिन, मैत्री परियोजना के उद्घाटन से भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी सहयोग बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा.

1320 मेगावाट की कोयले से चलने वाली ये परियोजना, बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा बिजलीघर है. ये पावर प्लांट मोंगला बंदरगाह और सुंदरबन के क़रीब है. वैसे तो ये बिजलीघर, दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ रहे सहयोग की मिसाल है. मगर, सुंदरबन के क़रीब होने के चलते इस परियोजना को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी जताई गई हैं. इस परियोजना की ये कहकर आलोचना की गई है कि इससे सुंदरबन के जलमार्गों और ख़ास तौर से पासुर नदी के बेहद नाज़ुक इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है. क्योंकि ये परियोजना, जल

में पाये जाने वाले जीवों की बहुत सी नस्लों और ख़ास तौर से मछलियों के लिए नुक़सानदेह साबित होगी. पर्यावरण को नुक़सान पहुंचाने की आशंकाओं की बहुत सी आलोचना झेलने के बाद, संबंधित अधिकारियों ने आगे आकर ये साफ़ किया कि ये परियोजना तो असल में बेहद आधुनिक तकनीक पर आधारित है और इससे जल और वायु प्रदूषण सीमित रखने में मदद मिलेगी, जो पर्यावरण को होने वाले नुक़सान को भी कम रखेगा.[8,9,10]
मैत्री परियोजना, बांग्लादेश पावर डेवेलपमेंट बोर्ड (BPDP) और भारत की सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेश (NTPC) के बीच 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली योजना है. इस परियोजना से भारत को बांग्लादेश से मित्रता मज़बूत करने में मदद मिलेगी, तो मोंगला बंदरगाह के क़रीब होने के चलते बांग्लादेश को भी इस परियोजना से कई सामरिक लाभ हासिल होंगे. बांग्लादेश इस परियोजना की मदद से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को कोयले का निर्यात कर सकेगा, जिसके बदले में उसे काफ़ी कमाई हो सकेगी.

साझा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध होने से आगे बढ़ते हुए आपसी और साझा हितों की पूर्ति करने तक, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा ही खुलेपन, साझा विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान जैसी अहम बातों से पहचाने जाते रहे हैं. आज जब दोनों पड़ोसी और दोस्त देश व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और पानी के बंटवारे जैसे ज़रूरी मामलों में अपने संबंध आगे बढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही देशों के नेता आपसी संबंधों के इस दौर को 'सोनाली अध्याय' या स्वर्णिम युग कह रहे हैं. सच तो ये है कि क़रीब तीन साल के अंतराल और कोविड-19 महामारी के बाद, शेख़ हसीना के इस बहुप्रतीक्षित भारत दौरे को इस स्वर्णिम दौर का एक और मील का पत्थर कहा जा सकता है. इसके बावजूद ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या शेख़ हसीना के इस भारत दौरे से उनकी अवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश में होने वाले 2023 के आम चुनावों में कोई सियासी बढ़त मिल सकेगी

बांग्लादेश-भारत संबंध संभवतः उपमहाद्वीप के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका के बावजूद, अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। 1972 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के बाद, दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास व्यर्थ रहा। परिणामस्वरूप, भूमि, जल, अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा से संबंधित दशकों पुराने मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं, साथ ही बांग्लादेश द्वारा भारतीय बाजारों में अनुकूल पहुंच की मांग भी जारी है, विशेष रूप से अपने व्यापक रूप से निर्यात किए जाने वाले वस्त्र उत्पादों के लिए।

जब 2015 में भूमि सीमा समझौता (एलबीए) को मंजूरी दी गई, तो इसे एक ऐतिहासिक सफलता और बांग्लादेश-भारत संबंधों के लिए एक नई दिशा का सूत्रपात माना गया। 1947 में उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद से ही उपमहाद्वीप में सीमांकन एक अनसुलझा मुद्दा बना हुआ था, जिसने एलबीए को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हालांकि, आशावाद के बावजूद, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दोनों सरकारों के निर्णयकर्ताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अभी भी यह संभावना है कि एलबीए अल्पकालिक साबित हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि अन्य मुद्दों को सुलझाने में बहुत कम प्रगति हुई है।[9,10]

लंदन समझौता ज्ञापन (एलबीए) कैसे संपन्न हुआ:
1 अगस्त, 2015 को, द्विपक्षीय वार्ताओं में अपनी परिधीय स्थिति के बावजूद, भारत और बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से साझा सीमाओं पर फैले 162 एन्क्लेवों का आदान-प्रदान किया—दोनों के लिए कम लागत वाली रियायतें, फिर भी सफल भविष्य के संबंधों के लिए एक संभावित मॉडल। इन समझौतों के परिणामस्वरूप, संबंधों को

संचालित करने की पुरानी शैली से अलग होने की संभावना है, और समाधान के लिए लंबित कुछ बड़े मुद्दों की जटिलताएं एलबीए के लिए आवश्यक विस्तृत वार्ता से अधिक जटिल नहीं हैं।

भारत में, भारत और पाकिस्तान (बाद में बांग्लादेश) के बीच क्षेत्रीय आदान-प्रदान पर किसी भी समझौते के अनुसमर्थन के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। चूंकि भूमि समझौता क्षेत्रीय हस्तांतरण से संबंधित था, इसलिए इसके अड़चनकारी होने की आशंका थी। एन्क्लेवों के हस्तांतरण का पहला प्रयास 1958 में किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान "क्षेत्रीय हानि या लाभ के किसी भी विचार के बिना" आदान-प्रदान पर सहमत हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में एक दूसरा समझौता हुआ, लेकिन उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण यह समझौता विफल हो गया।

लगभग चार दशकों से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ते हुए, तीसरी पहल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) द्वारा सितंबर 2011 में की गई, जब दोनों देशों ने 1974 के भूमि सीमा समझौते (एलबीपी) के अनसुलझे मुद्दों को लागू करने के लिए एक भूमि सीमा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, इस मुद्दे के "क्षेत्रीय हस्तांतरण" पहलू को देखते हुए, समझौते को संसद में लगातार विरोध का सामना करना पड़ा और असम और पश्चिम बंगाल सरकारों के साथ मतभेदों ने प्रक्रिया को बाधित कर दिया। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने समझौते के पारित होने का विरोध किया और तर्क दिया कि विधेयक की सामग्री के संबंध में उनसे परामर्श नहीं किया गया था, जो क्रमशः असम और पश्चिम बंगाल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

हालांकि, जब 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सत्ता संभाली, तो श्रम समझौता विधेयक को फिर से उठाया गया और उसे एक नई दिशा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने अपने पूर्व रुख को पलटते हुए श्रम समझौता विधेयक के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनाई, जिससे संवैधानिक संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो एनडीए के संसदीय बहुमत को देखते हुए कोई कठिन कार्य नहीं था।

असम द्वारा विधेयक से अलग किए जाने के पूर्व दावों को अब खारिज कर दिया गया, और पश्चिम बंगाल सरकार की केंद्र के प्रति गंभीर आपत्तियां वित्तीय सहायता मिलने की संभावना से कम हो गईं। इसके अलावा, असम और पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा वार्ता के हालिया दौर में शामिल किया गया। मोदी सरकार, जो अपने राजनीतिक समर्थन आधार को व्यापक बनाने के लिए उत्सुक है, के लिए श्रम समझौता विधेयक (एलबीए) की सफल कार्यान्वयन का अर्थ था गठबंधन बनाना और सभी दलों के बीच सहयोग का माहौल तैयार करना। संक्षेप में, भारतीय नेतृत्व की घरेलू राजनीतिक व्यावहारिकता ने भारतीय संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से संशोधन पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया। [6,7,8]

बांग्लादेश के लिए भूमि सीमा समझौता (एलबीए) एक स्थापित प्रक्रिया थी। चूंकि उसके संविधान में विदेश नीति पर संसद में चर्चा अनिवार्य नहीं है, इसलिए कार्यपालिका को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बांग्लादेश ने 1974 में एलबीए की पुष्टि कर दी थी, लेकिन भारतीय संसद को इसकी पुष्टि करने में मई 2015 तक का समय लग गया। हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करते हुए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2015 को 1974 के भूमि सीमा समझौते और इसके 2011 के प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।

बांग्लादेश-भारत संबंधों का भविष्य:

भारत में तनावपूर्ण और सत्ता-केंद्रित संबंधों को सुधारने में मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और द्विपक्षीय संकल्प महत्वपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश-भारत संघ (एलबीए) ने यह भी दिखाया है कि प्रगति की मानसिकता के साथ अतीत को भुलाया जा सकता है। फिर भी, संबंध कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर कांटेदार बाड़ का निर्माण किया है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक का उल्लंघन है जिसके अनुसार पड़ोसी सीमाओं के बीच 150 गज का निर्जन क्षेत्र बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच नदी के जल बंटवारे का मुद्दा अभी भी विवादित है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों (अक्सर तस्कर और अपराधी समझकर) की बार-बार हत्याएं बांग्लादेश की आम जनता के बीच असंतोष का कारण बन रही हैं।

फिर भी, बांग्लादेश और भारत के बीच पुराने संबंधों को सुधारने की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक हैं। बांग्लादेश में, शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री हसीना और उनकी सरकार ने ढाका में सत्ता संभाली, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। 1996 की गंगा जल संधि और 1997 में भारत से चकमा और अन्य पहाड़ी समूहों की वापसी इसके दो उदाहरण हैं। 2008 में, अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल का उपयोग भारतीय जल परिवहन सेवाओं को बांग्लादेश में प्रवेश देने के लिए किया गया था, हालांकि दोनों देशों के बीच कोई पारगमन समझौता मौजूद नहीं है।[5,6]

बांग्लादेश में, मौजूदा अवामी लीग (एएल) सरकार को भारत को भारी रियायतें देते हुए देखा जा रहा है, जो कभी-कभी हद से ज़्यादा और बिना प्रतिफल के होती हैं। ऐसा करके सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) पर दबाव बनाना चाहती है, जिसे दिल्ली में भारत विरोधी माना जाता है। हालांकि इससे हसीना सरकार के तहत द्विपक्षीय संबंधों में ज़बरदस्त सुधार हो सकता है, लेकिन यह बांग्लादेश-भारत संबंधों का सही प्रतिबिंब नहीं है।

बांग्लादेशी जनता में हाल ही में हसीना-भारत (बांग्लादेश-भारत के विपरीत) संबंधों को लेकर संदेह का भाव बढ़ गया है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अल-अल्लाह सरकार सत्ता में बने रहने के लिए भारत की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, और भारत द्विपक्षीय वार्ताओं में ढाका से अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है। भारत की नीतियों को लेकर बांग्लादेश में जनता की असंतोष की वजह भारतीय ऊर्जा कंपनियों को बाज़ार तक पहुँच न मिलना, ज़ीरो पॉइंट पर सीमाओं का निर्माण, अनसुलझी और अधूरी तीस्ता संधि, और बांग्लादेशी कंपनियों और टीवी चैनलों को बाज़ार तक पहुँच न मिलना है।

यदि बांग्लादेश-भारत संबंधों को वास्तव में सफल बनाना है, तो भारत को बांग्लादेशी जनता का दिल और दिमाग जीतना होगा और एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी होने की उनकी धारणा को खत्म करने के तरीके खोजने होंगे। लंदन समझौता ज्ञापन (एलबीए) को सुलझाने की उसकी पहल एक अच्छी शुरुआत है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान-प्रदान के साथ, एक स्थायी बांग्लादेश-भारत गठबंधन के घटक हैं।

निष्कर्ष

सीमा पार नागरिकों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवेश विवाद एक गंभीर विषय है । दीर्घावधि से कुछ समाजशास्त्री और मानव - शास्त्री , साथ ही अर्थशास्त्रियों ने घुसपैठ की समस्या का अध्ययन किया है , उन्होंने जनसांख्य धार्मिक विविधता , नस्लवाद और राजनीतिक चरित्र - देशों के संदर्भ में भी अध्ययन किया है । फिर भी जब एंटर - सीमा पार करने का प्रभाव क्षेत्रीय रूप से राष्ट्र के सिद्धांत के साथ नहीं जोड़ा गया । यह राष्ट्र ही है कि उसका नागरिक कौन है ? राष्ट्र ही सुनिश्चित करता है कि किस सीमा तक वह सिंचा जा सकता है , वे सभी लोग राष्ट्र पर देय दायित्व रखते हैं , दोनों राष्ट्र और नागरिकता के योग्य बन जाते हैं। राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षा का पासपोर्ट बन जाता है । वर्जिनिटी की पत्रिका व्यवहार करने योग्य बनने के लिए और एक नए राष्ट्र की स्थापना के लिए जन समुदाय वालेआंट्रिक कार्य से अपना सहायता शुल्क लेने के लिए अन्यथा सुरक्षा उनके घर कर दी जाती है ।
सरकार द्वारा उन मदरसा परिवारों को शिक्षा , स्वास्थ्य , आवास एवं अन्य फार्मासिस्ट सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं । उन्होंने कहा कि समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवनस्तर को बदलने में कितनी सहभागी हो रही है । यह अध्ययन के समाजशास्त्रीय महत्व को प्राप्त करता है। राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को शिक्षा , स्वास्थ्य एवं आवास के लिए साख - सेहत की स्थापना की जा रही है । वह वास्तव में उस समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है ? प्रस्तुत अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अध्ययन के माध्यम से बांग्लादेश के सांप्रदायिक बस्ती और 1971 के विभाजन के बाद से लेकर अब तक भारत में रह रहे बांग्लादेशी आदिवासियों की सामाजिक - आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ? क्या वे स्थानीय समुदाय से अपना समाज स्थापित कर पाने में सफल हो रहे हैं ? या स्थानीय समुदाय के साथ - साथ राज्य की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सलाहा विषय बन गये हैं ? इन सभी प्रामाणिक ज्ञान का अध्ययन माध्यम से हुआ है जिसका महत्व बताया गया है ।[10]

संदर्भ

1. "शेखावाटी पर्यटन: शेखावाटी में घूमने की जगहें - राजस्थान पर्यटन" । www.tourism.rajasthan.gov.in । मूल रूप से 21 जुलाई 2024 को संग्रहित । 2 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त ।
2. गुसाईं, लाखन (2001)। शेखावाटी . लिनकॉम। आईएसबीएन 978-3-89586-399-8.
3. "राजस्थान फाउंडेशन" . foundation.rajasthan.gov.in . मूल से 9 फरवरी 2025 को संग्रहीत। 16 मई 2025 को पुनः प्राप्त ।
4. आदित्य मुखर्जी, "कला का लेंस: शेखावाटी की हवेलियाँ", द टाइम्स ऑफ इंडिया (12 नवंबर, 2013)
5. "शेखावाटी के बारे में - शेखावाटी" । 4 मई 2025 को पुनःप्राप्त .
6. मुकुटजी: जयपुर राज्य का भुगोल, पृष्ठ 46-47
7. सहीराम: एक अधूरी क्रांति, शेखावाटी का किसान आंदोलन (1922-1952), पृष्ठ-1
8. जीएच ओझा : राजपूताने का इतिहास (भाग 1), पृष्ठ 83
9. सुख संपति राज भंडारी: भारत के देशी राज्य, जयपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ 3
10. सहीराम: एक अधूरी क्रांति, शेखावाटी का किसान आंदोलन (1922-1952), पृष्ठ-3